भारत सरकार

कोयला मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 3037

जिसका उत्तर 19 मार्च, 2025 को दिया जाना है

अविकसित कोयला ब्लॉक की बिक्री

3037. श्री ससिकांत सेंथिलः

क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रालय को अविकसित गोंडबहेरा उझेनी ईस्ट कोयला ब्लॉक की बिक्री के निर्णय की जानकारी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) पारदर्शिता और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा के सिद्धांतों के असंगत नीलामी के दो दौरों में एक ही बोलीदाता को इस ब्लॉक का आवंटन करने का क्या औचित्य है;

(ग) कोयला ब्लॉक विकास और उत्पादन समझौते के अंतर्गत उन प्रावधानों का ब्यौरा क्या है जो इस तरह के हस्तांतरण की अनुमति देता है और सट्टेबाजी वाले लेनदेन को रोकने के लिए विद्यमान सुरक्षोपाय क्या हैं; और

(घ) क्या मंत्रालय ने मध्य प्रदेश के सिंगरौली जैसे कोयला समृद्ध क्षेत्रों में भारत की ऊर्जा सुरक्षा, घरेलू कोयला उत्पादन और स्थानीय आजीविका पर इस बिक्री के प्रभाव का आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कोयला एवं खान मंत्री

(श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) : दिनांक 10.10.2022 को मैसर्स एमपी नेचुरल रिसोर्सेज प्राइवेट लिमिटेड को आवंटित गोंडबहेरा उझेनी ईस्ट कोयला ब्लॉक को आवंटिती के साथ निष्पादित कोयला ब्लॉक विकास और उत्पादन समझौते (सीबीडीपीए) के प्रावधानों के अनुसार मैसर्स महान एनर्जेन लिमिटेड (उसी समूह की एक सहायक कंपनी) को अंतरित कर दिया गया है।

(ख) : कोयला खान का आवंटन एक निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से किया गया था। निविदा दस्तावेज के प्रावधानों के अनुसार, प्रारंभ में कोयला खानों को पहले प्रयास में नीलामी के लिए पेश किया जाता है। ऐसे मामलों में जहां एक खान को केवल एक बोली प्राप्त होती है, नीलामी प्रक्रिया को रद्द किया जाता है और खान को नीलामी के दूसरे प्रयास के लिए आगे बढ़ाया जाता है। जब किसी खान को नीलामी के दूसरे प्रयास में एकल अर्हता प्राप्त बोली

प्राप्त होती है तो इसे बोलीदाता को आबंटित किया जाता है ताकि प्रचालन समय पर शुरू किया जाना सुनिश्चित किया जा सके। कोयला उत्पादन बढ़ाने, आयात निर्भरता को कम करने और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में कोयला क्षेत्र के योगदान को मजबूती प्रदान करने के लिए ऐसा आवंटन आवश्यक है।

(ग) : कोयला खानों के अंतरण से संबंधित सीबीडीपीए में प्रावधान निम्नानुसार हैं।

> **"*खंड* 13.1.1:** *सफल बोलीदाता के नियंत्रण में कोई भी परिवर्तन या सफल बोलीदाता द्वारा कोयला खान का कोई अंतरण, लागू कानूनों के अध्यधीन होगा और यदि (क) सफल बोलीदाता के नियंत्रण में प्रस्तावित परिवर्तन; अथवा (ख) सफल बोलीदाता द्वारा कोयला खान का अंतरण, जैसा भी मामला हो, के 15 (पंद्रह) दिन से पूर्व और बशर्ते कि नियंत्रण में ऐसे परिवर्तन के अनुपालन में, सफल बोलीदाता पात्रता शर्तों को पूरा करना जारी रखता है अथवा सफल बोलीदाता द्वारा कोयला खान के अंतरण के मामले में, अंतरिती पात्रता शर्तों को पूरा करता हो..., नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी और केंद्र सरकार को सूचित करने के साथ, लॉक-इन अवधि के बाद किया जा सकता है....''*
>
> *खंड **13.1.3 (ii):** आंशिक रूप से अन्वेषित खानों के लिए, लॉक-इन अवधि दो चरणों में होगी:*
>
> *(क) पहली बार, आबंटन आदेश जारी होने की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक, बशर्ते कि अनुमानित अन्वेषण व्यय का कम से कम 15% सफल बोलीदाता द्वारा वहन किया गया हो; अथवा (ख) दूसरी बार कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 11 (1) के तहत केंद्र सरकार द्वारा खनन पट्टे या आदेश के निष्पादन तक भूवैज्ञानिक रिपोर्ट तैयार करने के बाद, जैसा भी मामला हो।*

इसके अलावा, पूर्णतः अन्वेषित और आंशिक रूप से अन्वेषित दोनों प्रकार की खानों के लिए लॉक-इन अवधि के प्रावधान से यह सुनिश्चित होता है कि सफल बोलीदाता कोयला खान पर नियंत्रण को तब तक अंतरित अथवा कम नहीं कर सकता जब तक कि पर्याप्त वचनबद्धता और प्रगति (जैसे खनन पट्टे का निष्पादन, न्यूनतम अन्वेषण व्यय वहन करना अथवा भू-वैज्ञानिक रिपोर्ट तैयार करना) नहीं की जाती है। यह कंपनियों को उन्हें प्रचालित किए बिना केवल व्यापारिक उद्देश्यों के लिए खानों का अधिग्रहण करने से हतोत्साहित करता है।

(घ) : कोयला खान को अब मैसर्स महान एनर्जेन लिमिटेड (उसी समूह की एक सहायक कंपनी) द्वारा विकसित और बाद में प्रचालित किया जाएगा और इसका भारत की ऊर्जा सुरक्षा, घरेलू कोयला उत्पादन और स्थानीय आजीविका पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

****